लाकर खबरें प्रकाशित कीं और रिपोर्टें पेश कीं। रायपुर व दिल्ली में इस बर्बरता की निंदा करते हुए कई सभा-सेमिनारों और रैलियों का आयोजन किया गया। सरकारों की दमनकारी नीतियों की निंदा कर आतंक के बल पर जनता और जन-पक्षधरों को चुप करवाने की साजिश को नाकाम कर दिया गया। हम ऐसे तमाम संगठनों और शख़्सों का क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं जिन्होंने बस्तर की संघर्षरत जनता के पक्ष में अपनी आवाज उठाई या अपनी कलम चलाई।

हम देश के तमाम मजदूरों, किसानों, छात्रों, बुद्धिजीवियों, लेखक-पत्रकारों, मीडियाकर्मियों, मानवाधिकार संगठनों, आदिवासी संगठनों और आदिवासियों के हितैषियों का आह्वान करते हैं कि आएं, बस्तर की संघर्षरत जनता का हार्दिक समर्थन करें। उन पर हो रहे सरकारी आतंक और जुल्मों का खण्डन करें। इन इलाकों का दौरा कर सच्चाइयों को प्रत्यक्ष देखें और उन्हें देश-दुनिया के सामने पेश करें। उन पर किए गए अत्याचारों के लिए जिम्मेदार अपराधियों को कड़ी सजा देने की मांग करें। उनके दुख-तकलीफों के प्रति भाईचारा प्रकट करें। उनकी सहायता के लिए आगे आएं। उनका हौसला बढ़ाएं।

★ देश की जनता के खिलाफ जारी कार्पोरेट वर्गों का अन्यायपूर्ण युद्ध 'ऑपरेशन ग्रीन हंट' को फौरन बंद करो!

★ बस्तर से तमाम अर्धसैनिक बलों को वापस भेजो! एसटीएफ, कोया कमाण्डो और एसपीओ की नियुक्ति बंद करो!

★ चिंतलनार इलाके में सरकारी सशस्त्र बलों द्वारा किए गए पाशविक अत्याचारों के लिए जिम्मेदार केन्द्रीय गृहमंत्री चिदम्बरम, मुख्यमंत्री रमनसिंह, छत्तीसगढ़ गृहमंत्री ननकीराम कंवर, डीजीपी विश्वरंजन, बस्तर आईजी लांगकुमेर और डीआईजी (अब) कल्लूरी को सजा दो!

★ बस्तर क्षेत्र में कॉर्पोरेट कम्पनियों के साथ किए गए सारे एमओयू रद्द करो! तमाम कार्पोरेट कम्पनियों को बस्तर की धरती से मार भगाओ!

★ दण्डकारण्य जनता के न्यायपूर्ण संघर्षों का समर्थन करो!

★ जल-जंगल-जमीन पर आदिवासियों का अधिकार हो!

★ भारत की नव जनवादी क्रांति जिंदाबाद!

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी

1 मई 2011

चिंतलनार क्षेत्र में सरकारी बलों का बर्बरतापूर्ण हमला
– 'ऑपरेशन ग्रीन हंट' के दूसरे चरण का हिस्सा

तबाह हुए अपने घर के मलबों के बीच खड़ा एक आदिवासी

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी

चिंतलनार क्षेत्र में सरकारी बलों का बर्बरतापूर्ण हमला – 'ऑपरेशन ग्रीन हंट' के दूसरे चरण का हिस्सा

11 से 16 मार्च, 2011 के बीच छत्तीसगढ़ के दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा जिला) के कोंटा तहसील में आने वाले चिंतलनार इलाके में सरकारी सशस्त्र बलों ने फिर एक बार आदिवासियों के खिलाफ फासीवादी हमला किया। यह हमला केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा जारी ऑपरेशन ग्रीन हंट का हिस्सा है, जो पिछले डेढ़ साल से देश के कई हिस्सों में जारी है और जिसका नेतृत्व सोनिया-मनमोहनसिंह-चिदम्बरम गिरोह कर रहा है। इस हमले की साजिश केन्द्रीय गृहमंत्री चिदम्बरम और छत्तीसगढ़ में यूनिफाइड कमान के कमाण्डर-इन-चीफ मुख्यमंत्री रमनसिंह ने रची, जबकि इसकी रूपरेखा डीजीपी विश्वरंजन और सीआरपी के डीजी विजयकुमार ने तैयार की। इसके क्रियान्वयन का जिम्मा बस्तर आई.जी. लांगकुमेर और दंतेवाड़ा एस.एस.पी. कल्लूरी के कंधों पर था। हालांकि बस्तर क्षेत्र में सरकारी सशस्त्र बलों द्वारा गांव-दहन, लोगों का कत्लेआम, लूटपाट और महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार का यह कोई नया मामला नहीं है, लेकिन इस हमले की तीव्रता और इससे हुआ नुकसान तुलनात्मक रूप से बहुत ज्यादा है।

इस क्षेत्र के चार गांवों में सीआरपीएफ के कोबरा बलों, एसटीएफ, कोया कमाण्डो और एसपीओ बलों ने भारी तबाही मचाई और लगातार छह दिनों तक आतंक का तांडव किया। इस बर्बर अभियान में चिंतलनार पुलिस कैम्प से 15 किलोमीटर के दायरे में आने वाले कुल चार गांवों – मोरपल्ली, पुलानपाड़, तिम्मापुरम और ताड़िमेट्ला को निशाने पर लिया गया। कानून के तथाकथित रखवालों ने मोरपल्ली में 37, तिम्मापुरम गांव में 56 और ताड़िमेट्ला में 207 – कुल करीब 300 घरों में आग लगा दी। सैकड़ों मुरगियों, बकरों और अन्य पशुओं को लूटा और मारकर खाया। कुल तीन लोगों – माड़िवी शूला, बाड़से भीमा और मानु यादव की हत्या कर दी। दो आदिवासियों माड़िवी हंदा और माड़िवी आयता का अपहरण किया जिनके बारे में अभी तक कोई खबर नहीं है। छह महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया। पुलिस की मारपीट में घायल महिलाओं की संख्या 31 है और पुरुषों की संख्या 10 है। इन चारों गांवों में लूटपाट और आगजनी से जो नुकसान हुआ, वह एक अनुमान के मुताबिक 4 करोड़ रुपए से ऊपर है।

जिसकी बदौलत ही आज यहां क्रांतिकारी आंदोलन उन्नत स्तर पर विकसित हो पाया है। खासकर बस्तर क्षेत्र में सलवा जुडूम दमन अभियान का मुकाबला करते हुए जनता ने खासा अनुभव हासिल किया है जिसके बल पर अब ऑपरेशन ग्रीन हंट का भी मुकाबला जारी है। इस देशव्यापी व चौतरफा दमन आक्रमण, जो दरअसल 'जनता पर जारी अन्यायपूर्ण युद्ध' है, को परास्त करने के लिए अपने आत्मरक्षात्मक युद्ध को तेज करना ही एक मात्र विकल्प है। व्यापक, संगठित, सशस्त्र व सक्रिय जन प्रतिरोध के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है।

'अगर जनता के पास एक सेना नहीं है तो उसके पास कुछ नहीं है' माओ का यह सुविख्यात कथन आज भारत के कोने-कोने में एक अकाट्य सच्चाई के रूप में उभरकर सामने आ रहा है। दण्डकारण्य की जनता ने अपनी जन सेना के जरिए ही पिछले तमाम सरकारी दमन अभियानों को धूल चटाई थी। अपनी जन सेना के जरिए ही यहां की प्राकृतिक संपदाओं को लूटने-खसोटने की कोशिश करने वाले बड़े व विदेशी पूंजीपतियों को मार भगाया। अतः हम दण्डकारण्य की समूची क्रांतिकारी अवाम तथा विभिन्न क्रांतिकारी संगठनों के कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हैं कि वे इस जन सेना (पीएलजीए) में हजारों, लाखों की संख्या में संगठित होकर जनयुद्ध को तेज करें ताकि मौजूदा फासीवादी सरकारी हमले को पराजित किया जा सके। हम पीएलजीए के विभिन्न बलों व कमानों और जन मिलिशिया के बहादुर योद्धाओं का आह्वान करते हैं कि वे जनता के जानमाल की रक्षा में और ज्यादा मुस्तैदी व दृढ़ता के साथ खड़े रहें। जनता में आतंक मचाते हुए घरों को जलाकर, हमारी मां-बहनों का अपमान कर, मारपीट, लूटपाट व जुल्म करने वाले भाड़े के सशस्त्र बलों पर- कोबरा, कोया कमाण्डो, एसपीओ, एसटीएफ चाहे उनका नाम कोई भी हो – प्रहार करने और दण्डित करने का कोई भी मौका हाथ से जाने मत दें।

देश की जनता और जनवाद के प्रेमियों से अपील

बस्तर के दूर-दराज के इलाकों में सरकारी हिंसा और आतंक की खबरें बहुत कम मौकों पर ही बाहर आ पाई हैं। मीडिया में इस पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है जोकि उसके वर्गीय चरित्र को देखते हुए अस्वाभाविक नहीं है। फिर भी मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, संगठनों और जन पक्षधर पत्रकारों व मीडियाकर्मियों ने कई चुनौतियों और खतरों का सामना करते हुए चिंतलनार क्षेत्र का दौरा किया और राज्यसत्ता को कटघरे में खड़ा किया। सच्चाइयों को सामने

जनता ने उन्हें मार-मारकर भगा दिया। भानुप्रतापपुर के पास चारगांव में डेरा जमाए हुए माइनिंग माफिया को जनता ने मार भगाया। बोधघाट परियोजना जो बस्तर में महा विनाश का अध्याय रचने वाली है, जनता के विरोध के चलते चालू नहीं हो पा रही है। और तो और, कुव्वेमारी और बुधियारीमाड़ में बॉक्साइट का समृद्ध भण्डार है जिस पर कुख्यात वेदांता कम्पनी की नजरें हैं, जहां पता चला है वहां की मात्र 20 हेक्टेयर की जमीन के नीचे 3 लाख टन का माल है। उसमें भी उत्खनन का काम शुरू नहीं हो पा रहा है। अभी प्रस्तावित रावघाट परियोजना का भी, जिससे एक व्यापक क्षेत्र में जल-जंगल-जमीन का विनाश और बड़े पैमाने पर आदिवासियों का विस्थापन होने वाला है, जनता पुरजोर विरोध कर रही है। उसके अंतर्गत प्रस्तावित रेल लाइन का निर्माण कार्य भी आगे बढ़ नहीं पा रहा। यानी एक शब्द में कहें तो बस्तर क्षेत्र में शोषक-लुटेरों के 'विकास' का एक भारी बुलडोजर चल नहीं पा रहा है, जिससे शासक वर्गों का राजनीतिक मुखिया रमनसिंह, उनका वफादार सेवक विश्वरंजन आदि बौखलाए हुए हैं।

लेकिन बस्तर की जनता आज अपना सब कुछ दांव पर लगाकर एक नए इतिहास की रचना कर रही है। वे अपने जल-जंगल-जमीन की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। सच्चा लोकतंत्र की स्थापना के लिए, जनता के सच्चे विकास का रास्ता सुगम बनाने के लिए और उदीयमान नव लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। शोषक-लुटेरों के हर हमले का जहां तक संभव हो मुकाबला कर रहे हैं। नित्य दमन के बीचोबीच भी उन्होंने प्रतिरोध का झण्डा बुलंद किया हुआ है। वैसे शोषण, अन्याय, उत्पीड़न और अपमान के खिलाफ लड़ना उनके लिए कोई नई बात नहीं है। अंग्रेजों के समय से लेकर आज तक उन्होंने पिछले करीब 200 सालों में कई बार बगावत का नारा बुलंद किया था। हर बार राज्यसत्ता ने उनके खिलाफ दमन का ही प्रयोग किया। चाहे गोरे उपनिवेशवादियों की हो या फिर काले लुटेरों की। अभी भी वे लड़ रहे हैं। न्याय के लिए, आत्मसम्मान के लिए और जल-जंगल-जमीन के लिए। यह लड़ाई वे सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई में वे अकेले भी नहीं हैं।

संगठित, व्यापक व जुझारू जन प्रतिरोध ही एक मात्र रास्ता!

दण्डकारण्य में शोषक-लुटेरों ने पिछले तीस सालों में कई दफे दमन अभियान चलाए थे ताकि क्रांतिकारी आंदोलन का सफाया किया जा सके। लेकिन जनता ने अपना खून बहाकर उन सभी अभियानों को परास्त किया

इस हमले में हजारों क्विंटल अनाज जलकर राख हो गया। दंतेवाड़ा और बीजापुर जिलों में जनता खासकर 2005 से इस तरह के हमलों से आत्मरक्षात्मक युद्ध के जरिए अपना बचाव करती आ रही है। जनता अपना खून बहाकर अपने गांवों, घरों, खेतों और फसलों की रक्षा करती आ रही है। लेकिन लुटेरे शासक वर्गों का यह हमला इतना सुनियोजित था कि इसे ऐसे समय अंजाम दिया गया था जब फसलों की कटाई व मिंजाई पूरी होने के बाद अनाज पूरा घरों में पहुंच चुका था। सरकार का इरादा साफ है - अनाज को जलाकर लोगों को या तो पलायन करने पर या फिर आत्मसमर्पण कर शिविरों में चले जाने पर मजबूर करना। आदिवासियों के बर्बरतम विस्थापन का यह एक और पहलू है जिसे ऐसी सरकारें अंजाम दे रही हैं जो अपने आपको लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई बताती हैं।

सरकारी आतंक का यह सिलसिला 16 मार्च तक ही सीमित नहीं रहा। यह कई दूसरे रूपों में लगातार चलता ही रहा। इस बर्बरता की जानकारी लेने, सच्चाई को जानने, जांच-पड़ताल करने या पीड़ितों को सहायता पहुंचाने के मकसद से इस इलाके में प्रवेश करने की कोशिश करने वाले सरकारी और गैर-सरकारी सभी किस्म के लोगों को सरकारी आतंक का शिकार होना पड़ा। बड़े सुनियोजित ढंग से कभी 'सलवा जुडूम' के नाम से या फिर 'उस क्षेत्र के नाराज आदिवासियों' के नाम से उन पर हमले करवाए गए। पत्रकारों के साथ दुरव्यवहार किया गया और उन पर झूठे केस भी लगाए गए। कलेक्टर आर. प्रसन्ना और संभाग आयुक्त श्रीनिवासुलु को यहां आने से रोका गया। उनकी गाड़ियों पर हमले किए गए। स्वामी अग्निवेश आदि सामाजिक कार्यकर्ताओं पर अंडे और पत्थर फेंके गए। विपक्षी कांग्रेस के विधायकों को भी 'विरोध' के चलते उलटे पांव जाना पड़ा।

सिर्फ रमनसिंह को ही उस इलाके में जाने की 'इजाजत' थी जिसका साथ दे रहे थे राज्यपाल शेखर दत्त, डीजीपी विश्वरंजन वगैरह-वगैरह। मुख्यमंत्री और राज्यपाल ताड़िमेट्ला में 'कथित रूप से पीड़ितों से' मिलने के लिए 2 अप्रैल को आये और टीवी कैमरों के सामने लोगों की शिकायतें सुनने के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। लेकिन जिस वक्त वो लोग यह आश्वासन दे रहे थे, उसी गांव के बगल वाले टोले में माजरा कुछ दूसरा ही था। रमनसिंह की 'सुरक्षा' में आए सैकड़ों सशस्त्र बलों में से एसटीएफ, कोया कमाण्डो या एसपीओ की एक टुकड़ी ने उस टोले में करीब 20 घरों में घुसकर

मुरगियों, बकरों, जेवरात आदि को लूटने के अलावा कई लोगों के साथ मारपीट की और एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार भी किया। यह टोला इतना करीब था कि वहां से रमनसिंह का भाषण माइक पर सुना जा सकता था। उसके बाद रमनसिंह चला गया। और साथ ही चले गए एसटीएफ और कोया कमाण्डो बल जिन्होंने जाने से पहले ताड़िमेट्ला के लोगों को फिर एक बार 'सबक' सिखाया।

मोरपल्ली जहां से इस वहशीपन की शुरूआत हुई

11 मार्च के भोर में करीब 4 बजे चिंतलनार से निकले थे सरकारी सशस्त्र बल। इनमें कोया कमाण्डो के 200 और कोबरा के 150 लाइसेंसी हत्यारे शामिल थे। कोया कमाण्डो उन्हीं लोगों से बनाया हुआ बल है जो सलवा जुडूम के समय से, यानी 2005 से एसपीओ (विशेष पुलिस अधिकारी) के नाम से सरकारी सशस्त्र बलों में भर्ती किए जाते रहे हैं। इनकी तारीफ में रमनसिंह, विश्वरंजन, लांगकुमेर आदि कई बार कह चुके हैं कि उन्हें इन पर नाज़ है, जबकि सर्वोच्च अदालत ने एसपीओ और कोया कमाण्डो के नियुक्ति और प्रशिक्षण पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। दरअसल इन्हें जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रीय रायफल्स, यानी भारतीय सेना से और आंध्रप्रदेश में ग्रे-हाउण्ड्स से प्रशिक्षण दिलवाया गया। (स्रोत: हिंदी प्रत्रिका *इंडिया टुडे*, 6 अप्रैल 2011)। वे सुबह साढ़े छह बजे तक गांव को चारों तरफ से घेर चुके थे। गांव में घुसते ही इन दरिंदों ने हवा में कुछ राउण्ड गोलियां चला दीं। और लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे थे। जो लोग तेजी से भाग नहीं पाए उन पर सरकारी बलों का कहर टूटा। ज्यादातर बूढ़े और महिलाएं उनके हत्थे चढ़ गईं। करीब 35 वर्ष की एक महिला एमला मूडे जो अपने खेत में तेंदुपत्ता तोड़ रही थी, को इन दरिंदों ने नीचे

पुलिसिया बर्बरता की जीती-जागती तस्वीर!

को 'जवाबी' हमले करने की छूट भी दे दी गई है। नारायणपुर में सेना के प्रशिक्षण स्कूल के नाम से सरकारों ने एक लाख 34 हजार एकड़ (600 से 800 वर्ग किलोमीटर) जमीन देने का फैसला लिया। दुर्ग जिले के नंदिनी के पास एअर बेस के निर्माण के लिए करीब 350 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करने की कोशिशें शुरू कीं। बिलासपुर के पास सेना ने 1800 एकड़ जमीन को तलाश लिया है ताकि ब्रिगेड मुख्यालय और विशेष बलों की एक यूनिट की स्थापना की जा सके। राष्ट्रीय रायफल्स को तैनात करने का करीब-करीब फैसला हो चुका है। इसके अलावा दसियों हजार की संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त तैनाती भी होने जा रही है। इन सभी कदमों से बस्तर क्षेत्र में जनता के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगने लगा है। आदिवासियों का सफाया कर या उन्हें अपने आवासों से भगाकर वे किन लोगों का 'विकास' करेंगे, इसकी कल्पना करना मुश्किल नहीं है।

प्रतिरोध से ही बचाव संभव - बस्तर है इसकी मिसाल

जहां तक बस्तर क्षेत्र का सवाल है, यहां पर बड़े पूंजीपतियों और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की कई परियोजनाएं जनता के विरोध के चलते अधर में लटकी हुई हैं। रमन सरकार ने जून 2005 में टाटा के साथ लोहण्डीगुड़ा में और एस्सार के साथ भांसी में स्टील कारखाने खोलने के लिए एमओयू पर दस्तखत किए थे। यह बात दीगर है कि एमओयू की शर्तों को सरकार ने आज तक उजागर नहीं किया। जनता के पुरजोर विरोध के कारण यहां पर जमीन अधिग्रहण का काम नहीं हो पाया। हालांकि सरकार एड़ी-चोटी का जोर लगा रही है ताकि इन संयंत्रों को शुरू किया जा सके। दमन, प्रलोभन, झूठ, धमकी - हर प्रकार के हथकण्डे अपनाए जा रहे हैं। फिर भी जनता तैयार नहीं हो रही है। उत्तर बस्तर के चारगांव क्षेत्र में निको जयस्वाल की प्रस्तावित लोहा खदान भी शुरू नहीं हो पाई क्योंकि जनता उसका जमकर विरोध कर रही है। उसके बगल में ही स्थित हहलादि पहाड़ में एक और कम्पनी को खदान खोलने का पट्टा दिया हुआ है, लेकिन जनता के विरोध के चलते वह भी बंद है।

राजनांदगांव जिले के मानपुर क्षेत्र में पल्लामाड़ खदान को जनता ने 2008 से बंद कर रखा है। उसे दोबारा शुरू करने की सरकार की तमाम कोशिशें जन प्रतिरोध के चलते विफल ही रहीं। नारायणपुर जिले के आमदायमेट्टा में निको कम्पनी ने जनता को धोखा देकर चोरी-छिपे खदान का काम शुरू किया था तो

को निशाना बनाकर तबाह किया गया, वे ऐसे गांव हैं जहां जन सरकार, यानी क्रांतिकारी जन कमेटी की अगुवाई में तालाबों का निर्माण हुआ था, सिंचाई की सुविधाएं बनाई गई थीं और भूमिहीनों को जमीन बांटी गई थी। यानी इन गांवों पर इतना गुस्सा दिखाने के लिए पर्याप्त कारण हैं! यानी यह हमला सिर्फ चार गांवों पर ही नहीं था, बल्कि विकास के एक नमूने पर भी था। इससे साफ जाहिर होता है कि शासक वर्ग 'विकास' के किस नमूने के लागू नहीं हो पाने से बौखलाए हुए हैं और किस नमूने के आगे बढ़ने से बेचैन हैं!

शासकों का 'विकास' का नारा एक धोखा!

खासकर जबसे ऑपरेशन ग्रीन हंट की शुरूआत हुई, लुटेरे शसक वर्ग और उनका सोनिया-मनमोहन-चिदम्बरम-रमनसिंह गिरोह बार-बार यह राग आलाप रहा है, 'माओवादियों से इन इलाकों को मुक्त करने के बाद हम इन इलाकों का विकास करेंगे।' आखिर शासक वर्ग बस्तर में किन लोगों के और किस तरह के विकास की बात कर रहे हैं? फासीवादी सलवा जुडूम अभियान ने, जिसमें एक हजार से ज्यादा लोगों की जानें गईं और कई लाख लोगों को बेघर होना पड़ा, अभी एसपीओ और कोया कमाण्डो का रूप धारण कर लिया। वर्तमान में मां दंतेश्वरी स्वाभिमान मंच, एसपीओ, कोया कमाण्डो आदि गिरोह साझे रूप से जितनी क्रूरता से हमले कर रहे हैं, वह सलवा जुडूम की क्रूरता की तुलना में कई गुना ज्यादा है। आगे सेना को उतारने की कोशिशें चल रही हैं और वायुसेना

सलवा जुडूम हो या चाहे ऑपरेशन ग्रीन हंट, बस्तर की यही तस्वीर है!

धकेलकर निर्वस्त्र किया। उसके साथ उसकी दो बेटियों की आंखों के सामने बलात्कार किया। उससे 10 हजार रुपए भी छीन लिए जो वह अपनी कमर में बांध रखी थी। गंगा नामक एक और महिला के साथ भी इन 'सुरक्षा' बलों ने बलात्कार किया और उससे व उसके घर से जेवरात व अन्य कीमती सामान लूटे। माड़िवी भीमे नामक 80 साल की बूढ़ी महिला पर अपनी पाशविकता का प्रदर्शन करते हुए टूट पड़े और बेदम पिटाई की। इसके अलावा तीन अन्य बुजुर्ग लोगों के साथ बुरी तरह मारपीट की। इस गांव में कम से कम 37 घरों में आग लगा दी। घरों में रखे गए अनाज, कपड़े, बरतन समेत सब कुछ जलकर राख हो गया। जिस वक्त यह हमला शुरू हुआ उस समय माड़िवी शूला नामक 28 वर्षीय ग्रामीण इमली के पेड़ पर चढ़कर इमली तोड़ रहा था। सरकारी बलों ने उसे देखा और देखते ही गोलियां बरसा दीं। उसकी बीवी उंगे चीखती-चिल्लाती रही कि उसे मत मारा जाए। लेकिन इससे उनके कानों में जूं तक नहीं रेंगी। उलटा उन्होंने उंगे के कपड़े फाड़कर जान से मारने की धमकी दी। उंगे वहां से भाग गई। शूला की लाश पेड़ पर ही टंगी रही। मृतक शूला के पिता का नाम माड़िवी सोमा और मां का नाम पाली है।

मोरपल्ली गांव लगभग पूरी तरह तबाह किया गया। जलाने से पहले घरों में घुसकर नगद पैसे, जेवर, कीमती सामान जो भी हाथ लगा लूट लिया गया। मुरगे, बकरों के बारे में अलग से बताने की जरूरत ही नहीं है। 10 बजे तक आतंक का यह खेल पूरा कर सारे बल वापस चले गए। जाते-जाते वे माड़िवी गंगा (45) और उनके बेटे माड़िवी भीमा और बेटी माड़िवी लक्के को पकड़कर चिंतलनार ले गए जहां उन्होंने बाप-बेटे के साथ रात भर मारपीट की जबकि बेटी लक्के को दूसरे सेल में कैद किया। उसे निर्वस्त्र कर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। अगले दिन मोरपल्ली की महिलाओं ने चिंतलनार थाना जाकर पुलिस से लड़-झगड़कर इन तीनों को छुड़ा लाया। लेकिन वर्दीधारी गुण्डों ने लक्के के कपड़े वापस नहीं किए।

मोरपल्ली पर हमले की खबर मिलते ही आसपास के इलाकों से पीएलजीए के गुरिल्ले और जन मिलिशिया के सैनिक निकल पड़े थे जो साढ़े दस बजे तक गांव में पहुंच गए। तब तक सारे बल वापस जा चुके थे। उन्होंने जलते हुए घरों को पानी डालकर बुझाने की कोशिश की। घरों से अनाज बाहर निकाला। इस तरह उन्होंने करीब 30 क्विंटल धान को बचाया। जन सैनिकों को देखकर गांव के लोग भी इधर-उधर से गांव में वापस चले आए और सब मिलकर जितना हो सकता था, राहत का काम किया। पीएलजीए ने जनता का ढाढ़स बंधाया।

12 मार्च को सरकारी सशस्त्र बल बाहर नहीं निकले, यानी यह उनके लिए आराम का दिन था।

पुलानपाड़ में टूटा कहर

फिर 13 मार्च को यही दरिंदे सुबह-सुबह चिंतलनार से निकल पड़े और सबसे पहले उन्होंने पुलानपाड़ गांव पर दोपहर दो बजे हमला किया। उन्हें देख कई लोग जंगलों की तरफ भाग गए। वहां पर कई लोगों के साथ मारपीट की और कई घरों में लूटपाट मचाई। खासकर महिलाओं के साथ ज्यादा मारपीट की क्योंकि वे ही घरों में रह गईं थीं। एक महिला के साथ बलात्कार किया। इस दौरान जन मिलिशिया की एक छोटी सी टुकड़ी ने सरकारी बलों का प्रतिरोध किया और दोनों पक्षों के बीच थोड़ी देर तक फायरिंग हुई। इन आतंकी बलों की अंधाधुंध गोलीबारी में दो ग्रामीण मुचाकी हड़मा (23) और मड़कम सोमड़ी (28) घायल हो गए। जाने से पहले इस गांव से इन बलों ने बाड़से भीमा (29) और मानु यादव (28) को उठा लिया। इन दोनों को पीछे से हाथों को बांधकर साथ में लेकर करीब तीन बजे वहां से तिम्मापुरम के लिए रवाना हो गए।

तिम्मापुरम में सरकारी आतंक का तांडव

पुलानपाड़ में गोलीबारी की आवाज सुनकर तिम्मापुरम गांव पूरा पहले ही खाली हो चुका था। खतरे को भांपकर सभी ग्रामीण जंगलों में चले गए थे। इस गांव में रहे कुल 90 मकान वीरान हो चुके थे। इससे बौखलाकर सरकारी बलों ने घरों में घुसकर सामानों को लूटना शुरू किया। सायकिल, रेडियो, घड़ी, कपड़े, जेवरात आदि जो भी मिला था, सब लूट लिया। शाम के 5 बजे तक डकैती का यह सिलसिला जारी रहा और बाद में वे वहां से ग्राम बोड़िकेल की ओर निकल पड़े। लेकिन रास्ते में पीएलजीए की एक और छोटी सी टुकड़ी ने उन पर घात लगाकर हमला किया। आधे

तबाही का मंजर

आखिर इतनी हिंसा क्यों?

देश के शासक वर्गों ने माओवादी अंदोलन को अपना नम्बर एक दुश्मन इसलिए मान लिया है क्योंकि इससे उनकी जन-विरोधी और साम्राज्यवाद-परस्त नीतियों को राजनीतिक तौर पर कड़ी चुनौती मिल रही है। खासकर ऐसे समय, जब दुनिया भर में पूंजीवादी व्यवस्था अभूतपूर्व संकट के दौर से गुजर रही हो, जिसके चलते दुनिया भर में, खासकर भारत जैसे पिछड़े देशों में, जहां प्राकृतिक संपदाओं का समृद्ध भण्डार है, भारी साम्राज्यवादी लूटखसोट जब मची हुई हो, शोषक शासकों को किसी भी प्रकार का विरोध नगवार ही गुजरेगा। चूंकि साम्राज्यवादी अपने संकट का बोझ गरीब देशों पर लादते हुए संसाधनों की लूटखसोट में तेजी ला रहे हैं, इसलिए इन देशों के दलाल शासक यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि यहां पर कोई संगठित प्रतिरोध पनप न ले। भारत के दलाल शासक वर्ग और केन्द्र में उनका प्रतिनिधित्व करने वाला सोनिया-मनमोहनसिंह-चिदम्बरम गिरोह इस राह में सबसे बड़ी बाधा के रूप में माओवादी आंदोलन को देख रहे हैं। दूसरी ओर, माओवादी आंदोलन की बदौलत दण्डकारण्य और बिहार-झारखण्ड समेत देश के कुछ अन्य हिस्सों में आकार ले रही जनता की जनवादी राज्यसत्ता से भी उन्हें कड़ी चुनौती मिल रही है। विकास के जिस नमूने को देश के लुटेरे शासक आगे बढ़ा रहे हैं उसकी हर तरफ आलोचना और निंदा हो रही है। दूसरी ओर आत्मनिर्भरता, स्वतंत्रता, समानता आदि मूल्यों पर आधारित विकास का एक वैकल्पिक नमूना उभरकर सामने आ रहा है, वह भी देश के अत्यंत दबे-कुचले जन समुदायों के बीच से। यह भी उनके गले नहीं उतर रहा है। इसीलिए उन्होंने शुरू किया है यह हमला ताकि इस चुनौती को हमेशा के लिए समाप्त किया जा सके।

जला हुआ एक घर

दूसरी तरफ एक और तथ्य यह भी है कि इस ताजा हमले में जिन गांवों

नहीं भुलाना चाहिए कि यह बर्बर हमला ऑपरेशन ग्रीन हंट के दूसरे चरण का हिस्सा है जिसका नेतृत्व केन्द्र की सोनिया-मनमोहनसिंह-चिदम्बरम गिरोह की पहल पर यूपीए सरकार और अलग-अलग राज्यों की सरकारें कर रही हैं।

ऑपरेशन ग्रीन हंट खासतौर पर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखण्ड, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओड़िशा और आंध्रप्रदेश राज्यों में चलाया जा रहा है जिसका अब दूसरा चरण बताया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में सरकारी सशस्त्र बलों और सीपीएम की हर्मद बाहिनी द्वारा खासकर जंगलमहल क्षेत्र में अमानवीय हत्याकाण्ड और अत्याचार जारी हैं। ओड़िशा में कॉर्पोरेट कम्पनियों का अव्वल नम्बर दलाल नवीन पटनायक ने पिछले चार महीनों के अंदर ही 25 से ज्यादा माओवादियों और आम लोगों की हत्या की। झारखण्ड में माओवादी नेताओं की हत्या के बुरे मंसूबे से हजारों बलों को उतारकर हमले किए जा रहे हैं। बिहार में गुण्डा गिरोहों की सांठगांठ से पुलिस व अर्धसैनिक बल क्रांतिकारियों की निर्मम हत्या कर रहे हैं। महाराष्ट्र में सरकार एक हाथ से सुधार और एक हाथ से दमन की नीति अपनाकर फासीवादी हमले कर रही है। आंध्रप्रदेश में आम लोगों और माओवादी नेताओं की फर्जी मुठभेड़ों में मार डालने की नीति लगातार जारी है, इसके बावजूद भी कि सरकार माओवादी आंदोलन का सफाया करने का ढिंढ़ोरा पीटती रहती है। इसके अलावा पृथक तेलंगाणा जैसे जनवादी आंदोलनों पर कहर बरपाई जा रही है। आंध्रप्रदेश के ग्रेहाउण्ड्स दक्षिण बस्तर और दक्षिण ओड़िशा में घुसकर संयुक्त आतंकी अभियान चला रहे हैं। सभी राज्यों के बीच हमलों में तालमेल बढ़ाया जा रहा है और संयुक्त ऑपरेशन्स नियमित रूप से चलाए जा रहे हैं।

केन्द्रीय गृहमंत्री चिदम्बरम इस आतंकी अभियान का सीईओ है जो हर माओवाद-प्रभावित राज्य का समय-समय पर दौरा कर माओवाद-विरोधी दमन मुहिमों में तेजी लाने पर जोर देता रहता है। हर दूसरे महीने में नक्सल-प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और पुलिस व अर्धसैनिक बलों के आला अधिकारियों की बैठकें आयोजित करता रहता है। प्रधानमंत्री मनमोहनसिंह साम्राज्यवादियों, खासकर अमेरिका के साथ सांठगांठ कर देश में नव-उदार नीतियों को लागू करते हुए जनवादी, क्रांतिकारी और राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों पर फासीवादी दमन लाद रहा है। ऐसे में चिंतलनार की घटनाओं को लेकर विधानसभा में कांग्रेस का हंगामा महज ढोंग ही माना जा सकता है। देश में मजदूरों, किसानों, आदिवासियों, दलितों, धार्मिक अल्पसंख्यकों पर जारी हमलों के लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों बराबर जिम्मेदार हैं। कोई नागनाथ है तो कोई सांपनाथ!!

घण्टे की फायरिंग के बाद उनके कदम आगे नहीं बढ़ पाए। हिम्मत नहीं हुई तो वहां से वापस फिर तिम्मापुरम आ गए। रात में वहीं रुके। उस वीरान गांव में इन दरिंदों ने मुरगियों और बकरों को मारकर खाया और जश्न मनाई। अपनी कायरता का प्रदर्शन करते हुए पूरी रात वे हवा में गोलियां चलाते रहे और मोर्टार के गोले दागते रहे। क्योंकि रात के अंधेरे में पीएलजीए के संभावित हमले की आशंका उन्हें सता रही थी।

अगली सुबह, यानी 14 तारीख की सुबह 5 बजे से उन्होंने गांव को जलाना शुरू किया। आगजनी का यह वहशियाना सिलसिला 9 बजे तक चलता रहा। अनाज, कपड़े, बरतन, नगद पैसे सब कुछ जलकर राख हो गए। ग्रामीणों की कुल नगद राशि करीब 5 लाख जल गई। सैकड़ों क्विंटल अनाज जलकर राख हो गया। कई कीमती सामान जल गए। जब यह सब चल रहा था करीब 200 ग्रामीण, जिनमें बूढ़े और बच्चे भी शामिल थे, बगल के जंगल में थे। गांव में जो धुआं उठ रहा था, उसे वहां से साफ देखा जा सकता था। पीएलजीए के गुरिल्ले जनता की रक्षा कर रहे थे। जनता और जन सैनिकों में काफी आक्रोश था। सरकारी बल गांव को जलाने के बाद साढ़े दस बजे वहां से निकले थे। चूंकि उनकी कुल संख्या 350 थी, इसलिए पैदल रास्ते में उनका फॉर्मेशन करीब एक किलोमीटर तक फैला हुआ था।

पीएलजीए का जवाबी हमला

मौका मिलते ही पीएलजीए के सैनिकों ने उनके फॉर्मेशन में सबसे आगे चल रही टुकड़ी पर हमला कर दिया। इस हमले में तीन कोया कमाण्डो मारे गए। 9 घायल हो गए। घायलों में एक ने बाद में अस्पताल में दम तोड़ दिया जिससे मरने वाले शत्रु-बलों की संख्या 4 हो गई। मीडिया में जिन 'कोया कमाण्डो' और 'कोबरा' बलों की शूरता और बहादुरी के बारे में लम्बी-चौड़ी रिपोर्टिंग की जाती है, वो पीएलजीए के एम्बुश से बचकर बदहवास भागने लग गए थे। पीएलजीए का तूफानी आक्रमण शुरू होते ही उनके पैर उखड़ गए थे। अपने मरे हुए साथियों की लाशें उठाने के लिए भी कोई रुकने को तैयार नहीं रहा था। वहां से पीएलजीए ने तीन एसएलआर, 270 कारतूस, कुछ अन्य फौजी साजोसामान बरामद किए। गौरतलब बात यह है कि ग्रामीणों का सामान जो वो लूटकर ले जा रहे थे, भागते-भागते सब छोड़ गए। उसमें नगद पैसे, बैग, सोना व चांदी के जेवर आदि शामिल थे जिसे जनता ने बाद में बरामद किया। पीएलजीए की यह लड़ाई करीब सवा घण्टे तक चली जिस दौरान सिर्फ एक

साथी, प्लाटून-10 का सेक्शन उप-कमाण्डर कॉमरेड मुचाकी गंगा शहीद हो गया। इस लड़ाई के बारे में मीडिया में जितने वाहियात ढंग से खबरें प्रसारित की गईं वह अपने आपमें यह साबित करता है कि मीडिया लुटेरे कॉर्पोरेट वर्गों के प्रचार की मशीन के अलावा कुछ नहीं है। कई क्षेत्रीय और राष्ट्रीय अखबारों, पत्रिकाओं और टीवी चैनलों ने पीएलजीए की तरफ मारे जाने वालों की संख्या 20 से लेकर 40 तक अलग-अलग आंकडे पेश कर हंसी के पात्र बन गए।

घरों में आग लगाने, महिलाओं और अशक्तों के साथ मारपीट करने, मुरगे-बकरों को लूटकर खाने, महिलाओं के साथ बलात्कार करने, सामानों को लूटने आदि में इन 'जांबाज' बलों ने जो 'दिलेरी' दिखाई, वह पीएलजीए का सामना होते ही पानी-पानी हो गई! हर बार इनकी 'बहादुरी' ऐसी ही रहती है! अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए ही भागने वाले इन बलों ने गांव में जाकर ही सांसें लीं। पीएलजीए के जन सैनिकों ने उन्हें करीब एक किलोमीटर तक दौड़ाया। वे वहां पर जलने से बचे हुए कुछ घरों की दीवारों की आड़ लेकर फायर करते रहे। वहां से उन्होंने हजारों गोलियां और दर्जनों मोर्टार शेल व हथगोले दागे। उनके बचाव में हेलिकॉप्टरों से अतिरिक्त बल आने शुरू हो गए जिसे देखकर पीएलजीए ने वहां से पीछे हटने का फैसला लिया। कॉमरेड मुचाकी गंगा की लाश को लेकर वे वापस चले गए। अगले दिन, यानी 15 मार्च को जनता की भारी उपस्थिति में एक दूसरी जगह पर पूरे सम्मान और क्रांतिकारी परम्पराओं के साथ शहीद योद्धा का अंतिम संस्कार किया गया। जनता ने अपने इस प्यारे सपूत को, जिसने उनकी रक्षा करते हुए अपनी जान कुरबान की, अंतिम विदाई देकर यह शपथ ली कि ऑपरेशन ग्रीन हंट को जरूर हराएंगे।

14 तारीख की रात को सरकारी फोर्स तिम्मापुरम में ही रुका। उन्होंने रात भर गोलियां और गोले दागना जारी रखा। और अगली सुबह जाने से पहले बाड़से भीमा को, जो उनके कब्जे में था और जिसे पुलानपाड़ से मानु यादव के साथ पकड़कर लाया गया था, एसटीएफ और कोया कमाण्डो बलों ने कुल्हाड़ी से वार कर मार डाला। जबकि मानु यादव को वर्दी पहनाकर गोली मार दी और उसकी लाश को माओवादियों के हमले का मुकाबला करने के दौरान बरामद किया गया बताया। क्योंकि इनाम-इकराम हासिल करने के लिए उन पर अपनी 'उपलब्धि' के रूप में कुछ न कुछ दिखाने का दबाव था। बाड़से भीमा शादीशुदा था और उसके पिता का नाम बाड़से देवा है और मां का नाम है अड़मे। भीमा एक नन्ही बच्ची का बाप भी था। मानु यादव भी शादीशुदा था और वह अपने

पीना पड़ रहा है। जिनके घर जलाए गए, घरों में रखे अनाज और कपड़े भी जल जाने से भुखमरी की स्थिति निर्मित हो गई। इसके अलावा हर तरफ बीमारियों का प्रकोप बढ़ा। महिलाओं और बच्चों में ये समस्याएं और भी गंभीर रूप से बढ़ीं। गर्भपात के मामले बढ़ गए हैं। जचगी के दौरान मौतें बढ़ी हैं। कुल मिलाकर सरकारी हिंसा के कारण यहां का जन जीवन पिछले कई सालों से अस्तव्यस्त बनकर रह गया है।

लगातार छह दिनों में चार गांवों को निशाना बनाकर उनमें से तीन गांवों को लगभग पूरी तरह तबाह करने की यह ताजा घटना सरकारी आतंक की तीव्रता को दर्शाती है। खासकर पिछले जनवरी माह से सरकारी बल 'ऑपरेशन ग्रीन हंट' का दूसरा चरण बताकर ऐसी आतंकी करतूतों को अंजाम दे रहे हैं। इस घटना के बाद भी कई और गांवों में हमले हुए। बेल्लमनेंड्रा गांव पर हमला हुआ। किष्टारम इलाके में विमलागुड़ा पर हमला हुआ। 23 मार्च को नारायणपुर जिले के कुल्लेनार के पास एक गुरिल्ला दस्ते पर सैकड़ों पुलिस व अर्धसैनिक बलों ने घात लगाकर हमला किया था जिस दौरान उन्होंने कॉमरेड रमेश और कॉमरेड प्रभाकर को जिंदा पकड़कर क्रूर यातनाएं देने के बाद उनकी हत्या की। 19 अप्रैल को नारायणपुर जिले के चिनारी गांव में रजनू सलाम नामक 14 साल के किशोर की निर्मम हत्या कर उसे मुठभेड़ के रूप में चित्रित किया गया। फासीवादी रमन सरकार ने अपने हमले को मुख्य रूप से बीजापुर और दंतेवाड़ा जिलों में केन्द्रित किया, जबकि बस्तर, कांकेर, नारायणपुर, राजनांदगांव, सरगुजा और जशपुर जिलों में हमलों का सिलसिला बिना रुके जारी है। इसी तर्ज पर धमतरी, रायपुर और महासमुंद जिलों में भी दमनचक्र चलाया जा रहा है।

कांग्रेस का दोगलापन

चिंतलनार क्षेत्र की इस आतंकी करतूत के संदर्भ में कांग्रेस का दोमुंहापन फिर एक बार साबित हुआ। कुछ अखबारों में इसकी खबरें छपने के बाद ही वह 'नींद से जाग उठी' जबकि उसे पहले से जानकारी थी कि इस क्षेत्र में क्या हुआ था। विधानसभा में दो-चार दिनों तक शोर मचाने और बयानबाजी तक ही उनकी भूमिका सीमित रही। आदिवासियों पर हुए इस अत्यंत बर्बर हमले को लेकर उसने कोई आंदोलन नहीं किया। गौरतलब है कि जिस समय छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी इस हमले को लेकर विधानसभा में शोर मचा रही थी, उसी समय आंध्रप्रदेश की कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ के दक्षिण बस्तर क्षेत्र में ग्रे-हाउण्ड्स बलों को दमन अभियान पर घुसा दिया। सबसे पहले इस बात को

गांवों पर हमले कर रहा है। स्त्री-पुरुषों, बच्चों और बूढ़ों को जबरन उठा ले जाकर यातनाएं देना, महिलाओं पर यौन अत्याचार, जबरन एसपीओ और कोया कमाण्डो में भर्ती करना, झूठे मुकदमों में फंसाकर जेलों में भेज देना - यह सब तिरंगे के साये में 'लोकतंत्र' और 'विकास' के नाम पर खाकी, खद्दर और भगवा की तिकड़ी द्वारा चलाया जा रहा है। जून 2005 से सलवा जुडूम के नाम से और अगस्त 2009 से ऑपरेशन ग्रीन हंट के नाम से बस्तर क्षेत्र में जारी आतंकी दमन अभियानों के तहत ऐसा कई बार हुआ है। सिर्फ बस्तर की ही अगर बात की जाए तो 10 अगस्त 2009 से, जबसे बस्तर क्षेत्र में ऑपरेशन ग्रीन हंट की शुरूआत की गई थी, लेकर 2010 के अंत तक सरकारी सशस्त्र बलों ने कम से कम 181 लोगों (हमें प्राप्त जानकारी पर आधारित संख्या है यह) की हत्या की। इनमें 99 प्रतिशत निहत्थे आदिवासी ही थे जिन्हें पकड़कर या देखते ही गोली चलाकर मार डाला गया था। महिलाओं के साथ बलात्कार के मामलों की व्यापकता को समझने के लिए एक आंकड़ा काफी है - 2008 में बीजापुर के पास सिर्फ 10 गांवों में किए गए एक सर्वेक्षण से पता चला था कि 74 महिलाओं के साथ सरकारी बलों ने सामूहिक बलात्कार किया। अभी तक सरकारी बलों द्वारा जलाए गए गांवों की संख्या 700 से ऊपर हो गई। कई गांवों को तो एक बार नहीं, कई बार जलाया गया। कई लाख लोगों को गांव छोड़कर इधर-उधर पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा।

इस बूढ़ी मां पर कोया कमाण्डो का पराक्रम!

ये सब प्रत्यक्ष हिंसा के कुछ आंकड़े हैं, जबकि इससे कई गुना लोग परोक्ष रूप से सरकारी हिंसा और आतंक के कारण मारे गए और यह सिलसिला अभी भी जारी है। इस बर्बरता के चलते हजारों लोग गांव छोड़कर जंगलों में रहने को मजबूर हुए जिससे उनके रहने और खाने-पीने की व्यवस्था पूरी तरह गड़बड़ा गई।

पीने के लिए साफ पानी के अभाव में लोगों को गंदा और असुरक्षित पानी

पीछे मां-बाप और बीवी के अलावा, तीन बेटों और दो बेटियों को छोड़ गए। अतिरिक्त बलों की मदद से 15 तारीख की सुबह दुश्मन का फोर्स पूरा वापस चला गया। जाने से पहले कुछ और घरों में आग लगा दी जिससे इस गांव में तबाह हुए घरों की कुल संख्या 56 हो गई।

ताड़िमेट्ला पर हमला

फिर 16 तारीख को उनका कहर ताड़िमेट्ला गांव पर टूटा। करीब 300 घरों वाले इस गांव के 207 घरों में सरकारी बलों ने आग लगा दी। यहां पर भारी नुकसान हुआ। माड़िवी जोगी नामक एक महिला के साथ इन आतंकी बलों ने बलात्कार किया और उसकी इतनी बुरी तरह पिटाई की कि वह बेहोश हो गई। जब वह होश में आई तो 12 हजार रुपए के जेवरात और नगद पैसे गायब थे। इस गांव की 27 महिलाओं के साथ इन आतंकी बलों ने बेरहमी से मारपीट की जिससे कई महिलाएं बुरी तरह घायल हो गईं। 12 वर्ष की एक बालिका भी बुरी तरह घायल हो गई जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकारी आतंक की भयावहता क्या रही होगी। 3 पुरुषों के साथ भी बुरी तरह मारपीट की गई। आतंक का यह सिलसिला सुबह 6 बजे से 8 बजे तक चलता रहा। इस गांव की दो महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। जाते-जाते वे इस गांव से दो ग्रामीणों माड़िवी हंदा और माड़िवी आयता को पकड़कर ले गए जिनके बारे में यह रिपोर्ट लिखे जाने तक कोई जानकारी नहीं है। ग्रामवासियों को आशंका है कि उन्हें मार डाला गया होगा।

ताड़िमेट्ला के एक घर में जले-बिखरे अनाज!

इस पाशविक हमले में शामिल कुछ दरिंदों को जनता ने पहचान लिया - मड़काम भीमा, तेल्लम अंदा, वंजम देवा, दसरू, रामलाल, मारा, किच्चा नंदा

(कोया कमाण्डो का कमाण्डर), करटम दूला उर्फ सूर्या (कोया कमाण्डो का कमाण्डर) और महिला एसपीओ पायके।

इस तरह छह दिनों का उनका यह दमन अभियान पूरा हुआ। लेकिन यहीं पर सब कुछ खत्म नहीं हुआ।

इलाके की नाकेबंदी

अगले दिन से दोरनापाल, केरलापाल, पोलमपल्ली, सुकमा आदि जगहों में इकट्ठे हुए सलवा जुडूम के नेताओं तथा आईजी टी. जान लांगकुमेर, एसएसपी कल्लूरी समेत पुलिस के आला अधिकारियों ने इलाके की नाकेबंदी की योजना बनाई। चूंकि उन्हें डर था कि मानवाधिकार कार्यकर्ता या जनपक्षधर मीडियाकर्मी इलाके में जाकर सच्चाई को बाहर ला सकते हैं जिससे सरकार की फजीहत हो सकती है, इसलिए उन्होंने अगले दिन से मीडिया वालों को उस क्षेत्र में जाने से रोकना शुरू किया। मुख्यमंत्री रमनसिंह, राज्यपाल शेखर दत्त और डीजीपी विश्वरंजन की तिकड़ी ने रायपुर से इस बाबत स्पष्ट निर्देश दे दिए। खासकर एसएसपी कल्लूरी ने जिसके हाथ कई मासूम आदिवासियों के खून से रंगे हैं, सुकमा में मोर्चा संभालकर इस 'सरकारी नाकेबंदी' को पूरी 'तत्परता' के साथ लागू करवाया। इसलिए 11 से 16 मार्च तक चले इस आतंकी अभियान के बारे में बाहरी दुनिया को करीब एक सप्ताह तक कुछ भी पता नहीं चल पाया था। कुछ पत्रकारों ने जोखिम उठाकर दूसरे रास्तों से आकर इन गांवों का दौरा कर 23 मार्च को जब सच्चाइयों को उजागर किया तब जाकर प्रदेश की विपक्षी पार्टी कांग्रेस जाग उठी। और विधानसभा में इस पर बहस हुई। उसके बाद देश भर में इस अमानवीय करतूत पर प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गईं। कई जनवादियों, जनवादी संगठनों और मानवाधिकार संगठनों ने इसका खण्डन करना शुरू किया।

सरकार-प्रायोजित नाकेबंदी - प्रशासन के रास्ते भी बंद!

21 मामूली रूप से घायल हो गए।' *हरिभूमि* ने पहले पन्ने में बैनर हेड लाइन लगाकर 35 से लेकर 40 माओवादियों के मारे जाने की झूठी खबर छापकर जैसे उत्सव ही मनाया। मनाएंगे भी क्यों नहीं? वैसे माओवादियों और माओवादियों के नाम पर आदिवासियों को जल्द से जल्द खत्म करना इन दो बड़े अखबारों *दैनिक भास्कर* और *हरिभूमि* के मालिकों के लिए भी जरूरी है! मिसाल के तौर पर रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ में *दैनिकभास्कर* समूह की कम्पनी डीबी पावर लिमिटेड एक कोयला खदान खोलने के लिए किसानों से 693.32 हेक्टेयर जमीन छीन लेने के चक्कर में है। जनता के विरोध और माओवादियों की उपस्थिति के चलते छत्तीसगढ़ की कई जगहों से कोयला, लोहा आदि खनिजों की माइनिंग का काम शुरू करने में और किसानों की जमीनें हड़पने में खासी मुश्किल हो रही है इन अखबारों के मालिकों को। कोयला और ऊर्जा के क्षेत्रों से जुड़े इनके कई हित खतरे में हैं। इसलिए, ऐसे कार्पोरेट आकाओं द्वारा संचालित अखबारों या टीवी चैनलों में इस तरह की रिपोर्टिंग कोई आश्चर्य की बात नहीं है!

कुल मिलाकर कहा जाए तो इस संदर्भ में मीडिया की रिपोर्टिंग बेहूदा और बेहद घटिया रही। तथ्यों को जानने या छापने के मामले में और जनता के साथ बरती गई सरकारी बर्बरता को लेकर इसके अंदर जरा भी ईमानदारी या संवेदनशीलता नहीं थी। जब सरकारी सशस्त्र बलों पर माओवादियों का कोई जवाबी हमला होता है तो उसे टीवी चैनलों और अखबारों में बढ़ा-चढ़ाकर और तथ्यों को तोड़-मरोड़कर प्रचारित किया जाता है। लेकिन जनता के ऊपर सरकारी सशस्त्र बलों के जुल्मों की कोई खबर सामने आती है तो उसे या तो बहुत संक्षिप्त रूप से प्रसारित किया जाता है या फिर उसे पूरी तरह नजरअंदाज किया जाता है। जब इसकी रिपोर्टिंग की भी जाती है तो उसमें 'दो-पाटों के बीच पिसने का सिद्धांत' ही ज्यादा हावी रहता है। इस बात को पूरी तरह दबा दिया जाता है कि यहां कौन सा पक्ष किस मकसद से लड़ रहा है।

लगातार चलता सरकारी आतंक का सिलसिला

जैसा कि शुरू में ही कहा गया, गांवों को जलाने, आदिवासियों का कत्लेआम करने, महिलाओं के साथ बलात्कार करने, लोगों के साथ मारपीट करने और घरों में लूटपाट मचाने का यह पहला वाकिया नहीं था। जिस प्रकार इतिहास में गोरे दरिंदों ने अफ्रीकी देशों पर हमले कर वहां के काले लोगों को मारकर और बंदी बनाकर गुलाम बनाया था, उसी तर्ज पर आज सोनिया-मनमोहनसिंह -चिदम्बरम-रमनसिंह-विश्वरंजन आदि शोषक-लुटेरों का गिरोह छत्तीसगढ़ के

दुष्प्रचार मुहिम - कार्पोरेट मीडिया की भूमिका

इस बर्बर दमनकाण्ड पर परदा डालकर डीजीपी विश्वरंजन और आईजी लांगकुमेर ने सुनियोजित तरीके से मीडिया में 14 तारीख को हुए माओवादियों के ऐम्बुश के बारे में झूठ-मूठ का प्रचार शुरू किया। सभी अखबारों और मीडिया चैनलों में कोया कमाण्डो की बहादुरी, उनके इन्वर्टेड ऐरो हेड फॉर्मेशन, यूबीजीएल से की गई गोलाबारी, 35 माओवादियों के मारे जाने आदि भ्रामक बयानों का बाढ़ सा चला। आंध्रप्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में बड़े माओवादी नेताओं का जमावड़ा होने, मोरपल्ली के नजदीक माओवादियों के हथियार कारखाना होने, माओवादियों की बड़ी सभा होने आदि झूठे व मनगढ़ंत बयान जारी कर मीडिया के जरिए एक माहौल बनाया गया ताकि इस दमन अभियान को जायज ठहराया जा सके। आंध्रप्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर तनाव का वातावरण निर्मित किया गया और आंध्रप्रदेश के हत्यारे ग्रे-हाउण्ड्स बल भी बुलाए गए। झूठों में गोबेल्स को भी मात देने का माद्दा रखने वाले डीजीपी विश्वरंजन ने मीडिया को बताया, 'हमने 35 अलग-अलग स्थानों पर खून के धब्बे देखे हैं। लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि इस मुठभेड़ में कितने माओवादी मारे गए होंगे' (द हिंदू, 15 मार्च 2011)। इसी खबर को मीडिया के एक बड़े तबके ने इतना रंग चढ़ाकर पेश किया कि ज्यादा संख्या में माओवादियों के मारे जाने की 'खुशी' में वे सब यह भी भूल गए कि आखिर उनका काम सच्चाइयों की रिपोर्टिंग करनी है या सरकार का ढोल बजाना है। भाकपा (माओवादी) की दक्षिण रीजनल कमेटी का यह बयान कि 'इसमें हमारा सिर्फ एक कॉमरेड मुचाकी गंगा शहीद हुआ है' इन झूठों के ढेर के नीचे कहीं दबकर रह गया।

सरकारी महकमे द्वारा फैलाए गए झूठों को पाठकों को परोसने में *दैनिक भास्कर, हरिभूमि, इंडिया टुडे* आदि मीडिया समूहों ने इतना उतावलापन दिखाया कि अपनी रिपोर्टिंग में विरोधाभास पर भी उनका ध्यान नहीं रहा। उदाहरण के लिए इंडिया टुडे ने जहां अपने 30 मार्च 2011 के अंक में आईजी लांगकुमेर के हवाले से दो दर्जन माओवादियों के मारे जाने की खबर छापी, वहीं 6 अप्रैल 2011 के अंक में इस खबर को फिर से छापते हुए 40 से ज्यादा माओवादियों के कोया कमाण्डो के हाथों मारे जाने की खबर प्रकाशित की। लेकिन एक भी शब्द यह नहीं लिखा कि 'इसकी पुष्टि नहीं हुई है'। *दैनिक भास्कर* ने 19 मार्च को जश्न के अंदाज में खबर छापते हुए लिखा था कि 'माओवादियों ने अपने 37 कॉमरेडों की लाशें जलाईं।' इसके अलावा '15 माओवादी गंभीर रूप से और

'कानून का शासन' - एक भद्दा मजाक!

चिदम्बरम और अन्य नेताओं को हम अक्सर यह कहते हुए सुन सकते हैं कि उनका मकसद माओवाद-प्रभावित इलाकों में 'कानून का शासन' (rule of law) लागू करना है। क्योंकि उनका कहना है कि माओवादियों के चलते प्रशासन ठप्प हो गया और इससे विकास के दरवाजे बंद हो गए। 'कानून का शासन' से उनका आशय यह है कि एक बार चुने जाने के बाद सरकार कानून के नाम से कुछ भी कर सकती है और इस राह में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। मसलन वह सरकारी जमीन के नाम पर हजारों, लाखों एकड़ जमीनें बड़ी कम्पनियों को और प्रशिक्षण केन्द्रों, एअरबेस और कंटोन्मेंट की स्थापना के नाम से सेना, पुलिस व अर्धसैनिक बलों को सौंप सकती है। और इसका विरोध नहीं होना चाहिए!

इस आतंक की चर्चा अखबारों और विधानसभा में होने के बाद दंतेवाड़ा कलेक्टर और बस्तर संभाग आयुक्त ने 24 मार्च को 'राहत' सामग्री लेकर चिंतलनार इलाके में आने की कोशिश की तो महज 25 एसपीओं की एक टुकड़ी ने उन्हें पोलमपल्ली के पास रोक दिया। चिंतलनार क्षेत्र में सरकारी बलों द्वारा बरती गई बर्बरता की हर तरफ हो रही निंदात्मक प्रतिक्रियाओं की पृष्ठभूमि में जनता का ध्यान बंटाना ही कलेक्टर और संभागायुक्त की इस तथाकथित राहत का मकसद था। उन्होंने इसे 'अग्निकाण्ड' की संज्ञा देकर शब्दों को चुन-चुनकर यह कहा कि 'आग माओवादियों ने लगाई या पुलिस वालों ने, हम इसकी जांच करेंगे।' विडम्बना देखिए कि जहां एक तरफ स्थानीय जनता, पत्रकार और यहां तक कि तथाकथित जन-प्रतिनिधि भी चिल्ला-चिल्लाकर कह रहे थे कि सरकारी सशस्त्र बलों ने उन गांवों में आगजनी मचाई, वहीं ये 'ईमानदार' और 'कर्मठ' प्रशासनिक अधिकारी यह नहीं तय कर पा रहे थे कि आग माओवादियों ने लगाई या फिर सरकारी बलों ने! बहरहाल, कलेक्टर और संभागायुक्त के साथ कई पत्रकार और अन्य मीडियाकर्मी भी थे। यूनिसेफ का भी एक वाहन था। उन्हें रोककर बताया गया था कि आगे माओवादियों और पुलिस के बीच फायरिंग चल रही है, अत: आगे जाने में खतरा है। ठीक उसी समय दूर से गोलियों और मोर्टार के गोलों के धमाके भी सुनाई दे रहे थे। बाद में पत्रकारों को यह साफ पता चला था कि एसएसपी कल्लूरी ने पहले से अपने बलों को आदेश देकर इस 'मुठभेड़' का इंतजाम किया था। यह बाहरी लोगों को इस इलाके में प्रवेश करने से रोकने की साजिश ही थी। इसके बावजूद भी इन लोगों ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो एसपीओं ने पूरे काफिले को रोककर ड्राइवरों

के साथ मारपीट की और राहत सामग्रियों को लूट लिया। इस काफिले के साथ जा रहे पत्रकारों के साथ भी दुरव्यवहार किया। सरकार ने अपने फासीवादी चरित्र का नंगा प्रदर्शन करते हुए अपने ही प्रशासन के अधिकारियों और उनके साथ में जा रही राहत सामग्रियों को रोक दिया। छत्तीसगढ़ के चिंतलनार इलाके में तथाकथित सरकारी कानून और प्रशासन के बीच जो टकराव देखने को मिला वह अपने आपमें एक फूहड़ मजाक था।

26 मार्च को सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश, आर्ट ऑफ लिविंग के प्रमुख रविशंकर आदि ने इन गांवों का दौरा करने की कोशिश की तो उन्हें दोरनापाल से आगे नहीं बढ़ने दिया गया। कथित रूप से 'नाराज आदिवासियों' ने उन्हें रोका और उन पर अण्डे फेंके। पुलिस की एक गाड़ी पर जिसमें अग्निवेश बैठे हुए थे, पत्थर फेंके। स्वामी अग्निवेश को दो-दो बार रोका गया जबकि वो रायपुर से सरकार की अनुमति लेकर, मुख्यमंत्री से चर्चा करके ही आ रहे थे। 11 फरवरी को नारायणपुर जिले में अपहृत पांच पुलिसकर्मियों की रिहाई के समय रमनसिंह ने जिस अग्निवेश को धन्यवाद दिया था, जिसकी कोशिशों की सराहना की थी, उस शख़्स ने जब पुलिसिया बर्बरता को प्रत्यक्ष देखने की कोशिश की तो उसे नागवार गुजरा। उलटे, छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री ननकीराम कंवर ने अग्निवेश को 'माओवादी' कहकर उन पर बेसिरपैर के इलजाम लगाना शुरू किया।

28 मार्च को जिला कलेक्टर के आदेश पर दोरनापाल के नायब तहसीलदार विजेन्द्र पाटिल ने तीन गांवों में राहत सामग्री पहुंचाने की कोशिश की तो उन्हें भी रोक दिया गया। पोलमपल्ली के पास रास्ते में रुकावटों को हटाने की कोशिश करने पर पुलिस के एक एएसआई को एक अदना सा एसपीओ ने रोका!

29 मार्च को कांग्रेस के 10 विधायकों के दल ने इन गांवों का दौरा करने की कोशिश की तो उन्हें भी इन्हीं लोगों द्वारा रोक दिया गया। उनके साथ में आई.जी. लांगकुमेर भी था। आई.जी. ने उन गुण्डों को हटाने की कोशिश न करके विधायकों को ही आगे जाने से रोक दिया। जिन गुण्डों को उसने प्रशिक्षित किया, पैसा दिया, पाला-पोसा और पुरस्कार दिए उन्हें इस आई.जी. ने रास्ते से हटने का आदेश तक नहीं दिया! मतलब साफ है!

इस तरह कुल पांच मौकों पर बाहर से आने वाले अलग-अलग समूहों को चिंतलनार इलाके में जाने से रोक दिया गया। 2 अप्रैल को रमनसिंह और राज्यपाल शेखर दत्त अपने सहयोगी विश्वरंजन के साथ यहां आए जिनका साथ

दिया था सैकड़ों कोया कमाण्डो, एसपीओ और कोबरा कमाण्डों ने। ठीक वही लोग जिनके ऊपर इस आतंकी कार्रवाई में लिप्त होने का आरोप है। यानी जिन लोगों ने रायपुर से इस आतंकी अभियान को संचालित किया था, सिर्फ उन्हीं लोगों को इस इलाके में कदम रखने की 'छूट' है, न किसी सामाजिक कार्यकर्ता को यह 'छूट' है, न ही किसी मानवाधिकार कार्यकर्ता को! एक ओर रमनसिंह अपना काम करता रहा तो 'सुरक्षा' कर्मियों ने ताड़िमेट्ला के ही एक दूसरे टोले में अपने पूर्व निर्धारित 'काम' को अंजाम दिया, 20 घरों को लूटकर और एक महिला के साथ बलात्कार कर। इससे यही साबित होता है कि एसपीओ, सलवा जुडूम या 'नाराज आदिवासियों' के नाम से जो भी 'विरोध' का नाटक रचा गया था जिसके तहत जनवादियों व जन पक्षधर पत्रकारों पर हमले किए गए थे, उसकी पूरी पटकथा रायपुर में पुलिस मुख्यालय में लिखी गई थी।

जनता और जनवादियों के तीखे विरोध और कल्लूरी को सजा देने की पुरजोर मांग के मद्देनजर सरकार ने दंतेवाड़ा एसएसपी कल्लूरी का स्थानांतरण करते हुए डीआईजी के रूप पदोन्नति दी!! दरअसल कल्लूरी ने भी यही आस लगाकर इस काले कारनामे को अंजाम दिलवाया था कि 6 अप्रैल 2011 तक उसे फिर से डीआईजी की कुर्सी मिल जाए। याद रहे कि पिछले साल के 6 अप्रैल के हमले के बाद, जिसमें 76 सीआरपीएफ बलों की मौत हुई थी, कल्लूरी को डीआईजी पद से हटाकर एसएसपी पद पर बैठाया गया था। और साथ ही, कलेक्टर आर. प्रसन्ना को भी स्थानांतरित किया गया क्योंकि चिंतलनार इलाके में राहत सामग्री ले जाने की कोशिश कर और जांच का आदेश देकर उन्होंने सरकार के लिए थोड़ी-बहुत 'असुविधा' पैदा की थी। इन आतंकी करतूतों में शामिल किसी भी अपराधी को न तो गिरफ्तार किया गया न ही उनके खिलाफ कोई केस दर्ज किया गया। इस आतंकी अभियान में शामिल किच्चा नंदा, सूर्या, मरकाम भीमा, तेल्लम अंदा, मारा, वंजम देवा आदि कई चिन्हित हत्यारों के खिलाफ जनता ने बयान दिए और उन्हें गिरफ्तार कर सजा देने की मांग भी की। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ेगा? कई कोया कमाण्डो ऐसे भी हैं जिनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट निकला हुआ है और जिन्हें फरार घोषित किया गया है, उन्हें बाकायदा हर महीने वेतन मिल रहा है और वे बस्तर के गांवों में आए दिन आतंक की कार्रवाइयों में बेरोकटोक शिरकत भी कर रहे हैं। यह है 'कानून का शासन' जिसको लेकर सोनिया-मनमोहनसिंह-चिदम्बरम गिरोह और रमनसिंह व विश्वरंजन ऊंची-ऊंची बातें करते हैं!